<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।</u>

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 21/09/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 20.09.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

<u>01.थाना जमानिया पुलिस द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.09.2025 को उ0नि0 अरुण पाण्डेय मय हमराह द्वारा प्र0फौ0मु0-2125/09 धारा 323,504,506 भादवि (मा0 न्यायालय JM-7 गाजीपुर) से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को ग्राम बहादुरपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा वांछित अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तारशुदा वांछित अभियुक्त का नाम व पता–</u>

1. मारकण्डे पुत्र गंगा यादव नि0 बहादुरपुर थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर उम्र- 55 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1.प्र0फौ0मु0-2125/09 धारा 323,504,506 भादवि (मा0 न्यायालय JM-7 गाजीपुर)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –</u>

02. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गाजीपुर के निर्देशन में तथा श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 20.09.2025 को साइबर सेल गाजीपुर द्वारा आवेदक मो0 रूस्तम खाँ पुत्र मो0 जहीर निवासी ग्राम- पारा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर के द्वारा साइबर सेल जनपद गाजीपुर को व्यापार करने के नाम पर फ्रॉड कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही करते हुए जनपदीय साइबर सेल प्रभारी श्री शिवाकांत मिश्रा मय टीम द्वारा आवेदक के 1 लाख 02 हजार रूपये (1,02,000) रूपये वापस कराये गये।

03. "श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर थाना

बहरियाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 223/12 के अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 11,000/- रू0 अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा।"

दिनांक 20.09.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 223/2012 धारा – 323, 504, 308 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण के अभियुक्त विजय बहादुर सिंह पुत्र स्व0 रामरुप सिंह निवासी बबूरा थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर को मुकदमा उपरोक्त में माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए धारा 308 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 -रू अर्थदण्ड व धारा 323 भादवि में 1000 रू0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

04. <u>थाना भुड़कुड़ा पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत के आज दिनांक 20.09.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना भुड़कुड़ा मय टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 126/25 धारा 64(1),351(3) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त प्रदुम्न पुत्र तुफानी राम निवासी ग्राम चक फातमा उर्फ बैरख थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर को जखनियाँ क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1 . प्रदुम्न पुत्र तुफानी राम निवासी ग्राम चक फातमा उर्फ बैरख थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर

अपराधिक इतिहास ---

1 मु0अ0सं0 126/25 धारा 64(1),351(3) बी0एन0एस0 थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर

<u>05.थाना गहमर पुलिस टीम द्वारा 15 पेटी (720 पाउच कुल 144 लीटर जिसकी अनुमानित कीमत करीब 01 लाख 44 हजार रुपये) अवैध देशी शराब व 01 अदद ट्रैक्टर ट्राली बिना नम्बर के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 19.09.2025 को उ0नि0 श्री विपिन कुमार सिंह चौकी प्रभारी सेवराई थाना गहमर मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान रेवतीपुर से भदौरा की तरफ आने वाली गहमर थाने के बार्डर पर बनी पुलिया के पास एक ट्रैक्टर ट्राली बिना नम्बर प्लेट के उपरोक्त ट्राली के तलहटी में जगह बनवाकर उसमें अवैध शराब भरकर ले जाते हुए पकडा गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 200/2025 धारा 60/72 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः –

1.बिजली नोनिया पुत्र स्व0 विश्वनाथ चौधरी सा0 मटकीपुर थाना धनसोई जिला बक्सर बिहार उम्र 55 वर्ष।

बरामदगी–

1 .एक ट्रैक्टर ट्राली बिना नम्बर प्लेट के जिसमें टाली के तलहटी में जगह बनवाकर 15 पेटी (कुल 720 पाउच जिसकी अनुमानित कीमत करीब 01 लाख 44 हजार रुपये) अवैध देशी शराब बरामद।

अपराधिक इतिहास—

1 .मु0अ0सं0 0200/2025 धारा 60/72 आबकारी अधि0 थाना गहमर जनपद गाजीपुर थाना गहमर जनपद गाजीपुर।

06. <u>थाना खानपुर पुलिस टीम द्वारा 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतुस 12 बोर के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 20.09.2025 को उ0नि0 कमल भूषण राय चौकी प्रभारी सिधौना मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली की बुढ़ीपुर चौराहे पर शादी भादी की तरफ से आ रहा है, जिसके पास नाजायज असलहा है, शीघ्रता किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर थाना स्थानीय की पुलिस बल की टीम द्वारा दबिश देकर थाना क्षेत्र के बुढ़ीपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके पास से एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 263/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1 .अभिषेक सिंह पुत्र अमरपाल सिंह निवासी ग्राम बाबूपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगीः-

1 . 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

आपराधिक इतिहासः-

1 .मु0अ0सं0-263/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खानपुर जनपद गाजीपुर।

2 . मु0अ0सं0- 199/2015 धारा 41, 411, 413, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना जेठवारा थाना प्रतापगढ़।

3 . मु0अ0सं0- 200/2015 धारा 379 भादवि थाना जेठवारा थाना प्रतापगढ़।

4 . मु0अ0सं0- 268/2018 धारा 147, 148, 286, 452, 504, 506 भादवि जेठवारा थाना प्रतापगढ़।

5 . मु0अ0सं0-221/2019 धारा 326, 354, 504, 506, 511 भादवि जेठवारा थाना प्रतापगढ़।

6 . मु0अ0सं0-225/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट जेठवारा थाना प्रतापगढ़।

7 . मु0अ0सं0-48/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट जेठवारा थाना प्रतापगढ़।

8 . मु0अ0सं0-49/2020 धारा 225, 323, 332, 353, 504 भादवि व 7
आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम व
3(1)(घ) एससी/एसटी एक्ट जेठवारा थाना प्रतापगढ़।

9 . मु0अ0सं0-384/2021 धारा 323, 427, 504, 506 भादवि जेठवारा थाना प्रतापगढ़।

10 . मु0अ0सं0-80/2024 धारा 366/366 भादवि थाना सुजनगंज जनपद जौनपुर।

07. थाना खानपुर टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 262/25 धारा 331(4)/305(a)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित 03 नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा मे लेते हुए 15000 रुपये बरामद किया गया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 20.09.2025 को उ0नि0 रामबाबू सिंह मय हमराह द्वारा बहेरी क्रासिंग के पास चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली की ग्राम सिंगारपुर में देशी शराब के ठेके में जो चोरी हुई थी उसमे नामित सभी लोग साई की तकिया के रास्ते बेलहरी की ओर जाने वाले हैं, यदि जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं उक्त सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय की पुलिस बल की टीम द्वारा दबिश देकर थाना क्षेत्र के ग्राम बेलहरी से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया जिनके पास से चोरी किये गये रुपये में से 15000 रुपये बरामद किया गया। बाल अपचारीगण को पुलिस अभिरक्षा में लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

1 .पुलिस अभिरक्षा मे लिये गये 03 अपचारीगण थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

बरामदगी

1.15000 रुपये चोरी का

आपराधिक इतिहासः-

1 .मु0अ0सं0 262/25 धारा 331(4)/305(a)/317(2) बीएनएस थाना खानपुर जनपद गाजीपुर।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर